प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़, दिनांक 25.03.2025

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

हत्या/ दुष्कर्म की घटना का सफल अनावरण, 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस को मिली बडी कामयाबी-

धोखाधड़ी को छिपाने के लिये पैसा देने के बहाने मृतका को खेत में बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म करना एवं हत्या करना-

हत्या, दुष्कर्म, धौखाधड़ी के अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

दिनांक 17.08.2019 को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बरहा में अभियुक्तों द्वारा 01 महिला की थी निर्मम हत्या-

अभियुक्त अनिल कुमार द्वारा मृतक महिला के खाते से धौखा देकर पैसा निकालना-

अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर मृतका के साथ विश्वासघात करके जमीन को बिकवाकर पैसा हड़प लिया-

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बरहा में दिनांक 17.08.2019 को 01 महिला की निर्मम हत्या हुयी थी। जिसमें दिनांक- 16.05.2023 वादी रंजीत पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद निवासी ग्राम बरहा थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ की तहरीर के आधार पर थाना कंधई पर मु0अ0सं0 157/23 धारा 419/420/406/328/325/302/376डी/34 भादवि व 3(2)5 एससी /एसटी एक्ट बनाम 03 नामजद व्यक्तियों का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना के शीघ्र अनावरण एवं शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा टीमें गठित कर संबंधित को कड़े निर्देश दिये गये थे।

प्रतापगढ़।

वादी रंजीत उपरोक्त, मृतका का चचेरा देवर है, जिसने अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण अनिल तिवारी, राकेश सरोज व शीतला सरोज के विरूद्ध आरोप लगाया है कि रामबरन फौज में कुक था, जिसकी मृत्यु वर्ष 2008/2009 में हुयी थी, रामबरन की मृत्यु के बाद पत्नी प्रेमा देवी को विभाग की तरफ से काफी पैसा मिला था एंव पेंशन भी मिलने लगी थी। प्रेमा देवी की मृत्यु के समय करीब 20 हजार रूपये पेंशन मिल रही थी।

अभियुक्तों द्वारा कारित घटना का विवरण-

अभियुक्त अनिल तिवारी उपरोक्त ग्राम बरहा में मेडिकल स्टोर क्लीनिक चलाता था। पति रामबरन की मृत्यु के बाद आरोपी अनिल तिवारी ने मृतका से व्यवहार बना कर उसको विश्वास में ले लिया। मृतका का बैंक खाता, आधार कार्ड व जमीन के कागज वगैरहा सब अनिल तिवारी ने मृतका से ले लिये। मृतका अनपढ़ थी, अनिल तिवारी के पढ़े लिखे होने के कारण मृतका अनिल तिवारी पर विश्वास करती थी एंव अपना पैसा निकालने के लिये बैंक में अनिल तिवारी को साथ ले जाती थी एवं अनिल तिवारी खाते से उसका पैसा निकालता रहा। जब प्रेमा

देवी एक हजार रूपये निकालने के लिये कहती थी, तो अनिल तिवारी दस हजार रूपये निकालता था और उसे एक हजार रूपये देता था। इसी तरह उसने कई लाख रूपये निकाल लिये।

मृतका के पास करीब 03 बीघा जमीन थी, उक्त जमीन को हड़पने की नीयत से अनिल तिवारी ने मृतका को ऐसा इन्जेक्शन दिया कि वो अपना मांसिक सन्तुलन खो बैठी और इसी बीच गांव के राकेश सरोज व शीतला सरोज से मिलकर जमीन का बैनामा दिनांक 31.12.2018 को शीतला प्रसाद के साढु की पत्नी निर्मला देवी पत्नी शोभनाथ निवासी ग्राम कोथर थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर को करा दिया। जमीन का बैनामा 22 लाख में किया गया और पूरा पैसा शोभनाथ ने हैण्ड कैश अनिल तिवारी को दे दिया और बैनामा में लिखा दिया गया कि 17 लाख 60हजार रूपये मृतका के खान खर्च में किया गया है। जिससे प्रेमा देवी का मानसिक सन्तुल बिगड़ गया। प्रेमा देवी जब भी अनिल तिवारी से पैसा मांगती थी तो अनिल तिवारी उसे दे देने का वादा करता रहा।

मृतका रोज सुबह-शाम अपने उसी जमीन पर जाकर बैठती थी और रोती थी। धीरे धीर वो चलते फिरते मुह से अपने आप से ही बात करते हुये बढ़ बढ़ाती रहती थी कि अनिल तिवारी मेरा बैंक से सारा पैसा निकाल लिया और मेरी जमीन हड़प ली। मुझे मेरी जमीन लौटा दो मेरा पैसा लौटा दो। इस तरह से बढ़बढ़ाती रहती थी और अर्ध विक्षिप्त सी हो गयी। जब गांव के लोग हमदर्दी वश मृतका की पहल एंव अनिल तिवारी उपरोक्त की प्रशासन से शिकायत करने हेतु सम्मलित होने का प्रयास करने लगे तो इसी बीच अनिल तिवारी ने खुलासा न खुल जाये, इसी कारण से दिनांक 17.08.2019 को मृतिका के खेत से कुछ दूरी पर रात्रि में अपने साथी राकेश सरोज व शीलता सरोज के साथ मिलकर मारपीट कर हत्या कर दिया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण/ गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये थे जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह के पर्वेक्षण में क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कन्धई श्री अवन कुमार दीक्षित व थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा श्री सन्तोष कुमार सिह के सहयोग से उ0नि0 असलम खान मय हमराह थाना कन्धई द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश अभियुक्त/वारण्टी मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्तों, 01. अनिल कुमार तिवारी पुत्र रामराज निवासी ग्राम अतरसण्ड थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ को ब्लाक पट्टी व 02. राकेश कुमार सरोज पुत्र दयाशंकर 03. शीतला प्रसाद सरोज पुत्र रामजनक निवासीगण ग्राम बरहा थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. अनिल कुमार तिवारी पुत्र रामराज निवासी ग्राम अतरसण्ड थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।

02. राकेश कुमार सरोज पुत्र दयाशंकर निवासी ग्राम बरहा थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

03. शीतला प्रसाद सरोज पुत्र रामजनक निवासी ग्राम बरहा थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तों से पूछताछ करने पर अभियुक्त राकेश सरोज उपरोक्त नें जुर्म स्वीकार करते हुये बताया है कि मृतका की मृत्यु के तीन दिन पहले अनिल कुमार तिवारी ने कहा था कि मेरा एक काम है, जिसके लिये मैं तुम्हे 50 हजार रूपये दूगां और मुझे तीन दिन बुलाकर लगातार शराब भी पिलाया तथा 10 हजार रूपये नकद दिये तथा कहा कि शेष रूपये काम होने के बाद देगे। दिनांक 17.08.2019 को मैं शराब के नशे में घर पहुचा तो घर वालो नें मुझे घर

में घुसने नही दिया, तो मैं अपने गांव में तालाब के पास जा रहा था, तभी अनिल तिवारी नें मुझे बुलवाया और कहा कि मैने मृतका को खेत पर बुलाया है, आज उसको मार कर खत्म करना है। तब मैं व अनिल तिवारी व शीतला प्रसाद तीनो लोग खेत पर पहुचे और मृतका वहाँ पर मौजूद थी। अनिल तिवारी व मैने उसके साथ गलत काम किया तथा शीतला प्रसाद को दूर खड़ा कर दिया कि वो आते जाते लोगो पर ध्यान रखे। उसके बाद हम तीनो उसको लाठी से मारा-पीटा और उसकी छाती पर कूदे, जब उसने बोलना बन्द कर दिया तो हम लोग को विश्वास हो गया कि वो मर गयी है। तब अनिल तिवारी व शीतला अपने घर चले गये और मै तालाब पर नहाने चला गया, जहाँ पर काफी देर नहाने के बाद मैने अपने कपड़े व गैरहा धुले ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 असलम खान, उ0नि0 अब्दुल सलार मय हमराह का रामजी कुशवाहा, का0 अमित प्रतापगढ सिंह, म0का0 उमा देवी, मय चालक का अनुप मिश्रा थाना कंधई जनपद प्रतपागढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 शिवेन्द्र यादव मय हमराह का0 देवेन्द्र सिंह व का० नारायण निषाद द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0न0 629/2015 अ0सं0 67/2012 धारा 323/325/504/506 भादवि व 3 (1)10 एससी एसटी एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त मुन्ने यादव पुत्र रघई यादव निवासी ग्राम राजापुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मुन्ने यादव पुत्र रघई यादव निवासी ग्राम राजापुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 शिवेन्द्र यादव मय हमराह का0 देवेन्द्र सिंह व का० नारायण निषाद थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जेठवारा के उ0नि0 राजेन्द्र पाण्डेय मय हमराह हे0का0 अमित यादव व हे0का0 दीपक कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान अ0सं0 191/2015 धारा 323, 504, 506 भादवि0 व 3 (1) (X) एससी/ एसटी एक्ट थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01

वारण्टी अभियुक्त उमेश चन्द्र वर्मा पुत्र लल्लू वर्मा निवासी पुरनपुर खास थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

उमेश चन्द्र वर्मा पुत्र लल्लू वर्मा निवासी पुरनपुर खास थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राजेन्द्र पाण्डेय मय हमराह हे0का0 अमित यादव व हे0का0 दीपक कुमार थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक-25.03.2025 जनपद प्रतापगढ़

"सेवा, सुरक्षा व सुशासन" नीति के 08 वर्ष पूर्ण होने पर जनपद प्रतापगढ़ के शहीद उद्यान में आयोजित त्रिदिवसीय कार्यक्रम

मा0 मुख्यमंत्री जी उ०प्र० द्वारा प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन नीति के 08 वर्ष पूर्ण होने एवं आगामी त्यौहारों तथा कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रम

शहीद उद्यान (कम्पनी गार्डेन) में आयोजित मेले में प्रदर्शनी के माध्यम से जनहितकारी योजनाओं के बारे में जनसामान्य को कराया जा रहा है जागरूक

दिनांक-25.03.2025 को जनपद प्रतापगढ़ के शहीद उद्यान में आयोजित त्रिदिवसीय कार्यक्रम का मा0 परिवहन मंत्री एवं जनपद प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री श्री दयाशंकर सिंह द्वारा जिलाधिकारी प्रतापगढ़ श्री शिव सहाय अवस्थी व पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार व जनप्रतिनिधिगण के साथ मुख्य अतिथि के रुप में सम्मिलित होकर कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्ज्वलित कर तथा मां सरस्वती की फोटो पर पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया एवं बुके व बैज के माध्यम से मुख्य अतिथि/ अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर लगे विभिन्न विभागों के प्रदर्शनी/ स्टॉल का रिबन काट कर अवलोकन किया गया।

शहीद उद्यान (कम्पनी गार्डन) में पुलिस स्टाल, यू०पी० 112 के फ्लैक्स बोर्ड, स्टैण्डी लगे मिशन शक्ति से सम्बन्धित फ्लैक्सी बोर्ड लगे है व पैम्पलेट किये जा रहे है वितरित

राज्य शासन के 08 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रतापगढ़ पुलिस ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जनता के हित में कई प्रभावी और सराहनीय कार्य किए हैं। इन प्रयासों से कानून-व्यवस्था में सुधार, समाज की सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिली है।

इस संदर्भ में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों की विस्तृत जानकारी -

मिशन शक्ति अभियान (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं स्वालम्बन) -

शासन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तीकरण, स्वालम्बन हेतु प्रचलित अभियान मिशन शक्ति के सम्बन्ध में जनपद की महिलाओं / बालिकाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं स्वालम्बन के सम्बन्ध में

जागरूक, विभिन्न हेल्पलाइनों, अपराध से बचाव आदि के सम्बन्ध में जानकारी देना व शासन द्वारा महिलाओं के सम्बन्ध में चलायी जा रही है लाभकारी योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी देना। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए "मिशन शक्ति" अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। विशेष सेल्स का गठन किया गया, जो महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों की त्वरित और संवेदनशील तरीके से जांच करती हैं।

यू०पी०112, आपातकालीन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण:-

शासन द्वारा आम जनमानस के हित में संचालित यू0पी0112 से सहायता प्राप्त किये जाने आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है। पुलिस ने आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए विशेष अभियान चलाए, जिनमें घातक दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, 112 आपातकालीन नंबर के तहत नागरिकों को सहायता प्रदान करने की प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया गया है।

यू०पी०कॉप ऐप (ई0एफ0आई0आर0) -

आम जनमानस की सुगमता हेतु तकनीकी सेवायें मुख्यालय द्वारा बनाये गये मोबाइल एप के सम्बन्ध में जानकारी देना, जैसे घर बैठे ई०एफ0आई0आर0 करना, किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराना, चरित्र प्रमाण पत्र, घरेलू सहायता सत्यापन, किरायेदार सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में जागरूक किया जाना।

ऑपरेशन त्रिनेत्र:-

आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के अन्तर्गत सी०सी०टी०वी० कैमरों के अधिष्ठापन एव अपराध नियंत्रण में उपयोगिता के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है।

ऑपरेशन कन्विक्शन -

शासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत अधिक से अधिक अपराधियों को दोष सिद्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जनसामान्य को अवगत कराया जा रहा है।

तीनो नये कानून -

तीनो नये कानून बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए के सम्बन्ध में सभी को जागरूक कराना व टेक्नोलाजी के इस्तेमाल जैसे इलेक्ट्रानिक या किसी भी तरह का डिजिटल रिकार्ड दस्तावेज माना जाये आदि के सम्बन्ध में जागरूक करना।

कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण:-

शासन के इन आठ वर्षों के दौरान प्रतापगढ़ पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। नियमित गश्त और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली द्वारा अपराधों की रोकथाम में सफलता प्राप्त की गई। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई, जिससे जनपद में अपराध दर में महत्वपूर्ण कमी आई।

एन्टीरोमियोः -

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में जनपद में संचालित एन्टीरोमियों स्क्वाड के सम्बन्ध में जनपद की महिलाओं / बालिकाओं नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं स्वालम्बन के सम्बन्ध में जागरूक करना, विभिन्न हेल्पलाइनों से अवगत कराना।

फील्ड यूनिट -

फील्ड यूनिट, पुलिस विभाग की एक महत्वपूर्ण शाखा है। जिसका मुख्य उद्देश्य अपराध स्थलों से साक्ष्य एकत्रित करना और वैज्ञानिक जांच में सहायता प्रदान करना है। फील्ड यूनिट अपराध स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन, पैकिंग, सीलिंग और परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजने में विशेषज्ञ होती हैं। इस प्रक्रिया में फॉरेंसिक विशेषज्ञ, दस्तावेज़ विशेषज्ञ, आग्नेयास्त्र विशेषज्ञ, रसायनज्ञ, विषविज्ञानी, जीवविज्ञानी, सीरम विज्ञान विशेषज्ञ, विस्फोटक विशेषज्ञ, लाई-डिटेक्शन विशेषज्ञ, डी.एन.ए. विशेषज्ञ और कंप्यूटर फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं। जो मिलकर अपराध की जांच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सहायता करते हैं।

शस्त्र प्रदर्शनी:-

उ०प्र० पुलिस द्वारा वर्तमान में प्रयोग किये जा रहे शस्त्रों की प्रदर्शनी लगाते हुए आम जनमानस को जागरूक किया जा रहा है। आम जनता और विशेष रूप से स्कूली बच्चों में पुलिस के प्रति जागरूकता और सकारात्मक छवि का निर्माण करना है। जिसमें स्कूली बच्चों/ आमजन को पुलिस के कार्यों और शस्त्रों के बारे में जानकारी प्रदान कर जागरुक किया जा रहा है।

यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा:-

यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस ने सख्त यातायात नियम लागू किए। प्रमुख सड़कों और चौराहों पर यातायात पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई। सिग्नल, कैमरे और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया गया। इसके अलावा सड़क सुरक्षा अभियान आयोजित किए गए, जिनमें नागरिकों को सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए जागरूक किया गया। यातायात नियमों के बारे में आम जनमानस को जागरूक कराया जा रहा है।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मार्गदर्शन:-

धार्मिक अवसरों और मेलों के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा विशेष इंतजाम किए गए। पुलिस बल ने धार्मिक स्थलों और मार्गों पर श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान की और आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय स्थापित किया। इस दौरान पुलिस ने यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय अपनाए।

ड्रोन तकनीकी का उपयोग:-

सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने ड्रोन तकनीकी का उपयोग शुरू किया। विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक आयोजनों, और संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन की निगरानी से घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सकी। इसके माध्यम से पुलिस ने अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ाया और अधिक प्रभावी तरीके से अपराधों की पहचान और रोकथाम की।

नशा मुक्ति अभियान:-

प्रतापगढ़ पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान चलाया है, जिसमें नशे के आदी व्यक्तियों को उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की गईं। साथ ही, नशे के व्यापारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। इसके अलावा, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सामाजिक सुरक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग:-

प्रतापगढ़ पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद स्थापित किया। पुलिस ने स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा योजनाओं, और आपातकालीन सेवाओं के लिए कई पहल कीं। इस प्रक्रिया में पुलिस को स्थानीय लोगों का विश्वास प्राप्त हुआ और अपराधियों के खिलाफ जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया गया।

साइबर अपराध:-

जनपद प्रतापगढ़ में साइबर अपराध से बचाव हेतु आमजन के हित में साइबर थाना प्रतापगढ़ की स्थापना की गई है। साइबर क्राइम के सम्बन्ध विभिन्न माध्यमों से आमजन को जागरूक किया जा रहा है।

दिनांक 25.03.2025 को अयोजित कार्यक्रमो का विवरण- शहीद उद्यान (कम्पनी गार्डन) में पुलिस स्टाल लगेंगे जिसमें यू०पी० 112 के फ्लैक्स बोर्ड, स्टैण्डी लगेगें मिशन शक्ति से सम्बन्धित पलैक्शीबोर्ड लगाये जायेगें व पैम्पलेट वितरित किये जा रहे है।

दिनांक 26.03.2025 को आयोजित कार्यक्रमो का विवरण शहीद उद्यान (कम्पनी गार्डन) में ऑपरेशन कन्विक्शन / ऑपरेशन त्रिनेत्र एवं पुलिस किये गये सराहनीय कार्यो के बारे पी०पी०टी के माध्यम से आम जनमानस को अवगत कराया जायेगा।

दिनांक 27.03.2025 को अयोजित कार्यक्रमो का विवरण शहीद उद्यान (कम्पनी गार्डन) में महिला शक्ति के सम्बन्ध में व्याख्यान का वृहद के बारे में जानकारी से अवगत कराया जायेगा एवं सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं व महिलाओं के सशक्तीकरण के सम्बन्ध में कार्यक्रम भी वृहद जानकारियों से अवगत कराया जायेगा।

नोट- इन सभी कार्यों के परिणामस्वरूप प्रतापगढ़ पुलिस ने शासन के आठ वर्षों में नागरिकों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, और समाज में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुलिस की मेहनत और समर्पण से जनता का विश्वास बढ़ा है और समाज में सुरक्षा का माहौल और सशक्त हुआ है।